



उत्तराखण्ड

राज्य विधान सभा के वर्ष 2014 के प्रथम सत्र में

डॉ० अजीज कुरैशी

महामहिम राज्यपाल, उत्तराखण्ड

का

अभिभाषण

देहरादून, सोमवार, 13 जनवरी, 2014 (पौष 23, शक सम्वत्, 1935)

उत्तराखण्ड राज्य के माननीय विधान सभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, नेता

प्रतिपक्ष एवं विधान सभा के माननीय सदस्यगण;

मैं आप सभी महानुभावों का वर्ष, 2014 में विधान सभा के प्रथम सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूँ और देव भूमि उत्तराखण्ड को एक आदर्श राज्य के रूप में विकसित करने में दिये जा रहे सहयोग के लिए आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आप के माध्यम से मैं प्रदेश की जनता की वर्ष, 2014 में समृद्धि एवं खुशहाली की भी कामना करता हूँ। मुझे आशा है कि नव वर्ष हमें नई शक्ति, नई ऊर्जा और प्रतिबद्धता प्रदान करेगा ताकि हम प्रदेश और प्रदेशवासियों की सेवा कर सकें।

(1) मेरी सरकार सर्वप्रथम मा0 प्रधानमंत्री, भारत सरकार को आपदा राहत में रूपया 7300 करोड़ आवंटित किये जाने हेतु धन्यवाद ज्ञापित करती है।

(2) मेरी सरकार सिटीजन चार्टर को प्रभावी बनाये जाने के उद्देश्य से सेवा का अधिकार अधिनियम को और सशक्त बना रही है। इसके अतिरिक्त मेरी सरकार ने भारत सरकार द्वारा अधिनियमित लोकपाल अधिनियम की तर्ज पर लोकायुक्त अधिनियम लाकर देश का प्रथम राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है।

(3) मेरी सरकार का नवम्बर, 2013 तक राज्य का परिव्यय 4662 करोड़ स्वीकृत है जिसके सापेक्ष 3000 करोड़ व्यय हो चुका है। राज्य में वित्तीय अनुशासन लाने तथा राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत सरकार द्वारा वित्तीय स्वीकृतियों एवं व्यय की गई राशि का समुचित लाभ प्राप्त करने हेतु दृढ़ संकल्प है तथा केन्द्र द्वारा शत-प्रतिशत वित्त पोषण वाले निर्माण कार्यों का बिना प्रभार के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा सम्पादन किए जाने का प्राविधान कराया है।

(4) आप सभी भिन्न हैं कि जून, 2013 के द्वितीय पक्ष से सितम्बर, 2013 के द्वितीय पक्ष तक राज्य में प्राकृतिक आपदा के विभिन्न चरणों में न

केवल भीषण जन-धन की हानि हुई बल्कि विषम बद्रीकेदार क्षेत्र और अलकनन्दा, भिलंगना, मन्दाकिनी, पिन्डर, सरयू, गोरी, काली आदि नदियों के अन्तरप्रवाह क्षेत्र में भीषण प्राकृतिक आपदा की परिस्थितियाँ पैदा हुई। इसमें स्थानीय बार्डर रोड को व्यापक टूट-फूट, नदियों के द्वारा स्थानीय बसावटों व आबादी मार्गों में भारी तबाही हुई है।

इस त्रासदी की पृष्ठभूमि में पर्वतीय मार्गों में पहुँच की जटिलता, कठिन पर्यावरणीय प्रतिकूलतायें, घनघोर वर्षात की मौसमी प्रतिकूलतायें, पूर्णतया क्षतिग्रस्त सड़कें व संचार प्रणाली ने विभीषिका की सीमा और जटिलता को लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर की भू-क्षेत्र में व्यापक विस्तार सचमुच एक बहुआयामी चुनौती और संकटपूर्ण परिस्थिति थी। हर मोर्चे पर अपनी जीवट अग्नि परीक्षा के साथ ही अपनी तरह की अनूठी एवं अविस्मरणीय संकट की इस घड़ी में आपदा की नई समझ दी और निश्चित रूप से शासन-प्रशासन के प्रयासों ने इस अद्वितीय आपदा में संगठनात्मक नेतृत्व की क्षमता को भी प्रकट किया। इस पूरे आपदा के दौर में यह भी स्पष्ट हुआ कि आपदा की तीव्रता, भीषणता और बहुआयामी क्षति की पृष्ठभूमि में मेरी सरकार ने अपने रिसपांस मैकनिज्म को जिस अनुकरणीय रूप में अंजाम दिया वह अपने आप में इतिहास का विरलतम उदाहरण है। केदारनाथ धाम और उसके यात्रा मार्गों पर इतने कम समय में करीब डेढ़ लाख लोगों को विषमतम मौसमी तबाही, अलकनन्दा, भागीरथी व मन्दाकिनी के पूरे प्रवाह क्षेत्र में भीषण तबाही के बीच व्यापक जानमाल को बचाना, सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाना और स्थानीय आबादी के लिये आवास इत्यादि की व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करना इतिहास का सबसे बड़ा प्रयोग और प्रयास है जिसकी विश्व इतिहास में कहीं भी अन्यत्र बानगी दुर्लभ है।

राज्य में आयी अभूतपूर्व आपदा के उपरान्त राज्य के सभी प्रभावित परिवारों / व्यक्तियों को राहत देने का प्रयास मेरी सरकार द्वारा किया गया। इस क्रम में विभिन्न मदों में राहत राशि में कई गुना वृद्धि की गयी एवं कई नयी मदों में राहत राशि अनुमन्य की गयी जो इसके पूर्व कदाचित किसी भी अन्य प्रदेश में अनुमन्य नहीं की गयी थी। मृत व्यक्ति के लिये रुपये पाँच लाख, अस्सी प्रतिशत अपंगता पर रुपये दो लाख, पूर्ण क्षतिग्रस्त भवन के लिये रु. दो लाख, तीक्ष्ण क्षतिग्रस्त भवन के लिये रुपये एक लाख, अहेतुक सहायता को रुपये 2,700 से बढ़ाकर रुपये आठ हजार प्रति परिवार किया गया है।

राज्य में प्रथम बार भवन को मानक मानने के बजाय भवन में रहने वाले परिवारों को राहत राशि के लिये इकाई माना गया एवं क्षतिग्रस्त भवन में रह रहे प्रत्येक परिवार को राहत राशि अनुमन्य की गयी। इसके अतिरिक्त जिन परिवारों के भवन आंशिक या पूर्ण रूप से सरकारी भूमि पर भी अनाधिकृत रूप से बने थे, उन्हें भी रुपये एक लाख की सहायता अनुमन्य की गयी। यदि किसी परिवार का एक से अधिक भवन क्षतिग्रस्त हुआ है तो ऐसे अतिरिक्त भवनों को भी राहत राशि अनुमन्य कराई गयी है।

प्रभावित परिवारों को आजिविका के उद्देश्य से पालतू पशुओं, कृषि भूमि एवं व्यवसायों के लिये भी राहत राशि बढ़ा कर अनुमन्य की गयी है। दुधारू पशुओं यथा भैंस, गाय एवं याक की मृत्यु पर रुपये बीस हजार, गधे की मृत्यु पर रुपये पच्चीस हजार, खच्चर एवं घोड़े की मृत्यु पर रु. पचास हजार, बकरी व भेड़ की मृत्यु पर रुपये तीन हजार तथा मुर्गियों की क्षति पर रुपये सौ प्रति पक्षी राहत राशि अनुमन्य की गयी है। अनुग्रह राशि हेतु पशुओं और पक्षियों की संख्या का कोई प्रतिबन्ध या सीमा नहीं रखी गयी है।

प्रभावित क्षेत्रों में पर्यटन मुख्य व्यवसाय के रूप में होने के कारण होटल, ढाबा, दुकान एवं घराट जैसे छोटे व्यवसायों के लिये प्रथम बार राहत राशियों की अनुमन्यता की गयी। ऐसे व्यवसायों के लिये रुपये दो लाख तक की क्षति को रुपये दो लाख एवं उससे अधिक की क्षति होने पर तीन श्रेणियों में अलग-अलग राहत राशि अनुमन्य की गयी है। घराटों की क्षति होने पर रुपये पच्चीस हजार प्रति घराट राहत राशि अनुमन्य की गयी है। श्री यमुनोत्री एवं श्री केदारनाथ में कई कण्डी / पालकी धारक यात्रा में सामान व श्रद्धालुओं के परिवहन के व्यवसाय से जुड़े रहे हैं। ऐसे सभी प्रभावित कण्डी धारकों को रुपये आठ सौ तथा पालकी धारकों को रुपये पाँच हजार राहत राशि अनुमन्य की गयी है। कण्डी व पालकी उठाकर चलने वाले मजदूरों को भी रुपये पाँच हजार की राहत राशि अनुमन्य की गयी है।

प्रत्येक आपदा के गम्भीर सामाजिक दुष्प्रभाव होते हैं जिसके परिणास्वरूप प्रभावित परिवारों को कई सामाजिक व आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इस दृष्टि से सड़क मार्ग से कटे ग्रामों को तीन माह तक निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया गया। जो प्रभावित परिवार भवनों में किराये पर रह रहे थे उन्हें रुपये पच्चीस हजार की राहत राशि अनुमन्य की गयी। विधवाओं को रुपये पच्चीस हजार की विशेष राहत सहायता दी गयी। अनाथ युवतियों को रुपये एक लाख की सावधि जमा विवाह के लिये अनुमन्य की गयी। आपदा में अनाथ हुये बच्चों के पालन-पोषण राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने का निर्णय लिया गया। सभी छात्रों को शुल्क में छूट के साथ बारहवीं तक रुपये पाँच सौ प्रति छात्र तथा अन्य व्यावसायिक व उच्च शिक्षण संस्थाओं में रु. एक हजार प्रति छात्र विशेष सहायता अनुमन्य की गयी। वर्तमान में शीत ऋतु के दृष्टिगत प्रत्येक प्रभावित परिवार को गर्म कपड़ों व कम्बल के लिये रुपये

पाँच हजार की विशेष सहायता भी दी गयी है। रुपये पाँच हजार की सहायता ऐसे अल्पवेतन भोगी कर्मचारियों को भी अनुमन्य की गयी है जो आपदा के दौरान वहाँ ड्यूटी हेतु तैनात किये गये थे एवं जिनके कपड़े आदि सामान की क्षति आपदा में हो गयी थी।

प्रभावित परिवारों को अन्य प्रकार से राहत दिये जाने के उद्देश्य से सहकारी ऋणों की वसूली स्थगित की गयी। विद्युत एवं जल कर्षों को माफ किया गया है। प्रत्येक वेधर परिवार को रुपये तीन हजार प्रतिमाह मासिक किराया अनुमन्य कराया गया है जिससे वे वैकल्पिक रूप से किराये के भवनों में रह सकें।

राहत एवं बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर करने के साथ-साथ पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापन की योजनाओं को भी तीव्र गति से संचालित किये जाने की कार्यवाही मेरी सरकार द्वारा की जा रही है। इस प्रक्रिया में भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबन्धन मद में रुपये 407 करोड़ तथा विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में रुपये 1,885 करोड़, विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में रुपये 1,100 करोड़ की सहायता अनुमन्य की गयी है। इसके साथ ही वाह्य सहायतित मद में विश्व बैंक व एशिया विकास बैंक के माध्यम से रुपये 3,161 करोड़ का ऋण भी पुनर्निर्माण कार्यों के लिये उपलब्ध होगा।

प्रभावित परिवारों के आवासों के पुनर्निर्माण के लिये पारदर्शी आवास नीति जारी की गयी है जिसमें प्रभावित परिवारों को राज्य द्वारा दिये जाने वाले प्री-इंजीनियर्ड आवास अथवा उनके द्वारा स्वयं निर्मित किये जाने वाले आवासों का विकल्प लेने की छूट होगी। दोनों प्रकार के विकल्पों में ऐसे आवासों को भूकम्परोधी तकनीक से बनाया जा रहा है जिससे आगे ऐसे आवासों में आपदा से होने वाली क्षति को कम किया जा सके।

इस भीषण आपदा में लगभग 4,009 श्रद्धालु लापता हो गये थे। सरकार द्वारा एक अभियान चला कर एवं विशिष्ट अभिहित प्राधिकारियों की नियुक्ति कर 3,471 मृत्यु प्रमाण-पत्र ऐसे लापता श्रद्धालुओं के परिवारजनों को जारी कर दिये गये हैं। इसके साथ ही उन्हें अनुमन्य राहत राशि भी भुगतान की जा चुकी है।

भविष्य में सम्भावित आपदाओं में क्षतियों को न्यून किये जाने की दृष्टि से कई प्रभावी कदम मेरी सरकार उठा रही है। इस प्रक्रिया में राज्य स्तर पर आपदा प्रबन्धन योजना के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिवादन बल की एक बटालियन हरिद्वार में स्थापित करने की कार्यवाही कर दी गयी है। राज्य की भी अपनी राज्य आपदा प्रतिवादन बल के गठन की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। राज्य में दस स्थानों पर ट्रॉमा सेन्टर की स्थापना की जा रही है। नदियों में मलबा निस्तारण तथा बाढ़ सुरक्षा कार्यों को सुनियोजित तरीके से सम्पादित करने की कार्यवाही की जा रही है। नदी श्रेणी की भूमि पर निर्माण कार्यों को प्रतिबन्धित कर दिया गया है। साथ ही एक्टिव फ्लड जोन के चिन्हांकन की कार्यवाही की जा रही है।

(5) चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मेरी सरकार ने जहाँ एक ओर चिकित्सा शिक्षा निदेशालय का गठन किया है, वहीं दूसरी ओर चिकित्सा शिक्षा के लिए एक सम्बद्ध विश्वविद्यालय का गठन भी किया है।

इस काम में—

- मेरी सरकार प्रदेश के सभी वर्गों की जनता को, जिसमें बी०पी०एल० परिवारों के साथ ए०पी०एल० परिवार भी सम्मिलित हैं, को निशुल्क औषधियां, चिकित्सा सुविधा, परीक्षण/निदान सेवायें आदि प्रदान करेगी।

- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी बच्चों को सम्मिलित किया गया है। इसके अन्तर्गत 148 आर०वी०एस०के० टीम (स्कूल हेल्थ टीम) कार्य कर रही है।
- सभी सरकारी स्कूलों तथा मान्यता प्राप्त स्कूलों का भ्रमण करके बच्चों में पायी जाने वाली 30 विभिन्न प्रकार की बीमारियों का चिन्हिकरण किया जाता है जिसमें जन्मजात बीमारियां भी सम्मिलित हैं। बीमारियों का चिन्हिकरण करने के बाद सम्बन्धित चिकित्सालयों में इनको निशुल्क उपचार हेतु भेजा जाता है, वे बीमारियां जिनमें ऑपरेशन की आवश्यकता होती है उनको भी टरसरी केयर हेतु मेडिकल कालेज तथा चिन्हित निजी चिकित्सालयों में भी भेजने की व्यवस्था की जा रही है। मेडिकल कालेज तथा निजी चिकित्सालयों में चिकित्सा हेतु आने-जाने के लिए मुफ्त सुविधा भी मेरी सरकार दे रही है।
- इस वित्तीय वर्ष में ग्यारह प्राथमिक नौ सामुदायिक तथा साठ परिवार कल्याण केन्द्रों की स्थापना तथा एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का उच्चीकरण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- राज्य में द्वितीय स्तर की चिकित्सा सुविधाओं को सुदृढ़ करने हेतु सरकार उत्तरकाशी में महिला चिकित्सालय, संयुक्त चिकित्सालय, काशीपुर तथा जिला चिकित्सालय, चम्पावत में डेडीकेटेड नेत्र वार्ड तथा आप्रेशन थियेटर बना रही है। नवजात शिशुओं के उपचार एवं देखभाल हेतु एन०आर०एच०एम० द्वारा महिला चिकित्सालय, देहरादून में चौबीस शैय्यायुक्त तथा बेस चिकित्सालय हलद्वानी में बारह शैय्यायुक्त एस०एन० सी०यू० की स्थापना का लक्ष्य है।

- निजी लोक सहभागिता से पं० दीन दयाल उपाध्याय चिकित्सालय, देहरादून में कार्डियोलोजी सेंटर का संचालन प्रारम्भ प्रारम्भ किया जा चुका है।
 - संयुक्त चिकित्सालय, कोटद्वार तथा जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़ में डायगोनास्टिक सेंटर की स्थापना की जा रही है।
 - राज्य में 104 गैर आकस्मिक चिकित्सा सेवा प्रस्तावित है।
 - राज्य कर्मचारियों को नगद रहित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।
 - राज्य के समस्त जिलों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जा चुकी है।
 - सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों/यात्रा मार्गों पर प्रत्येक 50 कि०मी० पर स्थित चिकित्सालयों में आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं का उन्नयन करते हुये चरणबद्ध रूप से ट्रॉमा सेंटर की स्थापना का लक्ष्य रखा है।
 - पल्स पोलियो तथा एड्स नियन्त्रण कार्यक्रमों का भी संचालन प्रभावी रूप से किया जा रहा है। राज्य में एड्स की व्यापकता दर 0.10 प्रतिशत है।
 - ऐलोपैथिक चिकित्सा के अतिरिक्त आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, और यूनानी चिकित्सा के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
- (6) त्रिस्तरीय पंचायतों के सुदृढिकरण हेतु मेरी सरकार कटिबद्ध है और इस क्रम में उनके विकास के लिए समयबद्ध रूप से आवश्यकतानुरूप धनराशि का आवंटन भी किया गया है।

- राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के अधीन सरकार पंचायत भवनों के सुदृढीकरण पर विशेष महत्व देते हुए प्रभावी कार्यवाही कर रही है।
- खाद्य सुरक्षा एवं आजीविका वृद्धि, सहभागी जलागम विकास, आजीविका वित्त-पोषण पर प्रभावी कार्यवाही कर रही है। इस वित्तीय वर्ष से उत्तराखण्ड हिमालयी आजीविका सुधार परियोजना के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की गई है।
- ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत इन्दिरा आवास योजना तथा नवीन सरलीकृत ऋण सह अनुदान योजना के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की गई है। आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में चौदह हजार अतिरिक्त आवास विशेष पैकेज के अन्तर्गत पाँच हजार आवासों हेतु धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है।
- "दीनदयाल उत्तराखण्ड ग्रामीण आवास योजना" के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के आवास विहीन बी०पी०एल०परिवारों के लिए इस वित्तीय वर्ष में लगभग चार सौ अतिरिक्त आवासों का निर्माण करा रही है।
- "मुख्यमंत्री शिल्प विकास योजना" के अधीन भी सरकार प्रभावी कार्यवाही कर रही है।
- उत्तराखण्ड सीमांत एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि से पर्याप्त धनराशि नागरिकों के विकास हेतु खर्च कर रही है। सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सीमान्त क्षेत्रों का विकास करने हेतु मेरी सरकार कटिबद्ध है और इस दिशा में ठोस कार्यवाही भी कर रही है।

(7) संविधान के अनुच्छेद 46 में उपबन्धित अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के हितों को विशेष रूप से संरक्षित करने का प्राविधान है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को सामाजिक न्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से बचाने हेतु संविधान में प्राविधान किये गये हैं ताकि सदियों से उत्पीड़ित एवं शोषित वर्ग को शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक समानता दिलाकर राष्ट्र की मुख्य धारा में इन वर्गों के अमूल्य योगदान का सदुपयोग सम्भव हो सके।

उत्तराखण्ड सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक एवं निःशक्तजनों को उनकी क्षमता के अनुसार योग्य बनाकर उन्हें शैक्षिक एवं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाते हुए समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने की ओर सतत प्रयत्नशील है।

- अल्पसंख्यक समुदाय के कमजोर वर्गों के कल्याण एवं उत्थान के लिए मंत्रालय एवं निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण का गठन किया है।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग बच्चों के कुपोषण स्तर को कम करने, स्कूल पूर्व शिक्षा से जोड़ने तथा महिलाओं एवं किशोरियों को स्वास्थ्य एवं पोषण की सुविधायें उपलब्ध कराते हुए उन्हें स्वावलम्बी एवं सशक्त बनाने हेतु प्रयासरत हैं।

- आंगनबाड़ी केन्द्रों पर टेक होम राशन की विकेंद्रित व्यवस्था इस वर्ष से आरम्भ की है, जिसमें माता समितियों द्वारा स्थानीय स्तर पर सामाग्री कय करते हुए छः माह से तीन वर्ष के बच्चों एवं गर्भवती/धात्री महिलाओं को टेक होम राशन के रूप में अनुपूरक पोषाहार प्रदान किया जा रहा है।

- सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों, सैनिकों के आश्रितों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित करने की दिशा में ठोस कार्यवाही कर रही है।

अनुसूचित जाति उपयोजना, अनुसूचित जनजाति उपयोजना, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम, राज्य स्तर पर आयोजित महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम, का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

- संस्कृति के संरक्षण एवं सम्वर्द्धन में कार्यरत विभिन्न स्वायत्तशासी संस्थाओं को आर्थिक सहायता, पुस्तक प्रकाशन हेतु आर्थिक सहायता, कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतु आर्थिक सहायता, पारम्परिक एवं पौराणिक मेलों के संचालनार्थ सहायता, महान विभूतियों की वर्ष गांठ का आयोजन में सहायता दी जा रही है। इसके अतिरिक्त शास्त्रीय संगीत की मानक एवं प्रमाणिक शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य प्रगति पर है।

- मेरी सरकार देहरादून में रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज के समीप लगभग 23 एकड़ भूमि पर रु0 237.20 करोड़ की लागत से राजीव गांधी अन्तराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कर रही है। प्रस्तावित स्टेडियम में दिवस-रात्रि मैचों के साथ ही अन्तराष्ट्रीय क्रिकेट मैच कराये जाने की सुविधा होगी यह अत्याधुनिक तकनीक, सुरक्षा तकनीकों तथा विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त उत्तराखण्ड का प्रथम स्टेडियम होगा, उक्त स्टेडियम में उत्तरी एवं दक्षिणी पवेलियन में तीस कारपोरेट बाक्स अत्याधुनिक मीडिया गैलरी एवं खिलाड़ियों हेतु विशेषीकृत सुविधायें उपलब्ध होंगी। इसके अतिरिक्त इसमें तरण ताल, बाउलिंग एले, टेनिस आदि इंडोर गेम के साथ-साथ ऑडिटोरियम, वैंक्वेट हाल एवं सुसज्जित अत्याधुनिक रेस्टोरेन्ट भी होगा। स्टेडियम निर्मित हो जाने

पर न केवल उत्तराखण्ड अन्तराष्ट्रीय खेल मानचित्र में स्तरीय स्थान प्राप्त कर सकेगा वरन् पर्यटन के विकास में भी यह मील का पत्थर होगा। इसके साथ ही मेरी सरकार देहरादून में हाकी टर्फ लगाने, पैवेलियन और परेड ग्राउन्ड्स का पुनर्निर्माण करा रही है और काशीपुर में बहुउद्देशीय कीड़ा हाल का निर्माण करा रही है।

- युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए राफ्टिंग प्रशिक्षण तथा अन्य विधाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।
- पर्यटन नीति के अनुसार सुनियोजित एवं त्वरित समेकित विकास हेतु विभिन्न विधाओं तथा संस्थागत व्यवस्थाओं का सुदृढीकरण, अवस्थापना सुविधाओं का विकास, निजी क्षेत्र की सहभागिता में वृद्धि, पर्यटन संसाधन विकास, प्रचार-प्रसार एवं पर्यटन विपणन, पर्यटन आधारित शिल्प उद्योग को प्रोत्साहन आदि पर्यटनोपयोगी गतिविधियों को चुनौतीपूर्ण ढंग से कार्यान्वित करने पर बल दिया जा रहा है।
- विभिन्न अल्पज्ञात पर्यटक स्थलो, यात्रा मार्गों पर विभिन्न आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु पर्यटन मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष में विभिन्न सर्किटों, डेस्टिनेशनों, मेगा सर्किट, होटल प्रबन्धन संस्थान, पर्यटन ग्रामों तथा मेले एवं त्योहारों स्पेशल इवेन्ट के आयोजन हेतु पर्याप्त धनराशि दी गई है।
- इस वित्तीय वर्ष में दुगड्डा-सैंदीखाल-वतनबासा समेकित सर्किट का विकास, जनपद-पौड़ी, रिवर राफ्टिंग केन्द्र एवं टोन्स नदी घाटी का ईको-टूरिज्म के रूप में विकास, मोरी, उत्तरकाशी रामनगर-कोसी पर्यटन सर्किट का विकास (रामनगर एवं नैनीताल

के बीच में), जनपद-नैनीताल, जौलजीबी में राफ्टिंग एवं एडवेंचर सेंटर सर्किट का विकास, जनपद-पिथौरागढ़, कोटी में बहुमंजिली हॉल, मार्गीय सुविधाओं का विकास, कौसानी में अवस्थापना सुविधाओं का समेकित विकास, जनपद-अल्मोड़ा, सीताबनी, रामनगर में डे सफारी सर्किट का विकास हेतु पर्याप्त धनराशि अवमुक्त कर चुकी है।

- ईको-एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा दिए जाने हेतु मेरी सरकार ने कार रैली का आयोजन किया, जिससे आपदाग्रस्त राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने हेतु विन्टर लाईन कार्निवल का आयोजन भी मेरी सरकार द्वारा किया गया।

- लगभग तीन सौ प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न साहसिक विधाओं यथा रीवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग, माउन्टेनियरिंग, रॉक क्लाइम्बिंग आदि का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

(8) अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्यों का सम्पादन कर रही है।

- जैव प्रायोगिकी कार्यक्रम से राज्य के छात्रों, किसानों एवं व्यावसायियों के साथ-साथ विशिष्ट पारिस्थितिकी, पर्यावरण एवं समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण के साथ-साथ राज्य के सतत विकास एवं आर्थिक उत्थान के युग्म उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मेरी सरकार प्रयत्नशील है।

- जैव प्रौद्योगिकी शिक्षा तथा अनुसंधान एवं विकास, मानव संसाधन विकास, आधुनिक जैवप्रौद्योगिकी का केन्द्र के अधीन (1) सी0ई0एम0बी0 (2)एम0डी0एल0 (मोलिक्युलर डाइग्नोस्टिक्स

प्रयोगशाला), बायोटेक पार्क तथा विज्ञान एवं समाज संचालित कर रही है।

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् का लाभ जन सामान्य को उपलब्ध कराए जाने हेतु कटिबद्ध है और इस सम्बन्ध में लोक हित में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।

(9) आबकारी मद में लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त राजस्व की वसूली सुनिश्चित की है।

(10) मेरी सरकार ने उर्दू भाषा के संवर्धन के लिए उर्दू अकादमी तथा पंजाबी भाषा के संवर्धन हेतु पंजाबी अकादमी की स्थापना की है।

सरकार सस्ता एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है और इस क्रम में अपेक्षित न्यायालयों की स्थापना की गई है।

(11) कृषि योग्य भूमि को सिंचित करने हेतु गूल और हौजों का निर्माण किया है।

- केन्द्र सहायित कार्यक्रमों के अधीन नहरों का निर्माण कर सिंचन क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि प्राप्त की है। जमरानी बाँध परियोजना के शीघ्र प्रारम्भ करने हेतु प्रयास किए हैं।

(12) फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण कार्य सम्पन्न हो चुका है जिसका अन्तिम रूप से शीघ्र प्रकाशन कराये जाने की व्यवस्था की है।

(13) जनहित में राज्य में बारह नई तहसील और तीन नई उप तहसीलों के गठन के साथ-साथ उन्नीस राजस्व ग्रामों का गठन भी किया जा चुका है।

- जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, उत्तर जीविता प्रमाण पत्र, पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सैनानियों के आश्रितों का प्रमाण पत्र, दैवीय आपदा आर्थिक सहायता, मुख्यमंत्री राहत कोष से प्राप्त

धनराशि का विवरण, खतौनी की कम्प्यूटरीकृत प्रति, भू-चित्र व खसरे प्रति, किसान बही आदि सेवायें उपलब्ध कराये जाने के संबंध में समय सीमा निश्चित की गयी है।

- पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्रों के दृष्टिगत चकबन्दी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सरकार कटिबद्ध है और इस हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है।
- लोक कल्याणकारी राज्य और समावेशी विकास के लक्ष्य के अनुरूप भूमिहीन, अनुसूचित जाति, जनजाति, विस्थापित व समाज के कमजोर वर्गों के परिवारों को वर्ग-4 की भूमियों के विनियमितिकरण की दूरगामी पहल की गयी। व्यापक जन समूह से जुड़े इस मुद्दे पर विधिक, वित्तीय, व्यावहारिक व अन्य पहलुओं पर समन्वित विचार करते हुये मूल पट्टेधारकों को उनकी भूमि का भौमिक अधिकार दिये जाने का निर्णय लिया जा चुका है। मा0 राजस्व मंत्री जी की अध्यक्षता में मा0 मंत्रिमण्डल की एतद् सम्बन्धी उप समिति गठित की गयी है।
- ऊधमसिंह नगर में पुनर्वास योजना अधीन विस्थापित होकर आये परिवारों को आवंटित भूमि पर कब्जा धारकों को भूमिधरी अधिकार दिये जाने एवं वर्ग-4 की भूमि के विनियमितिकरण हेतु जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 में यथा आवश्यक संशोधन किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है।

(14) मेरी सरकार राज्य में पूंजी निवेश को आकर्षित करने हेतु भी औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं को सुदृढ़ कर रही है।

- राज्य में रोजगार के अवसरों के सृजन तथा पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिये मेरी सरकार ने पृथक से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग सृजन किया है। पारदर्शिता एवं उद्यमियों की सुविधाओं के

दृष्टिगत राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना हेतु उद्यमिता ज्ञापन भाग-2 फाईल करने की ऑन लाइन व्यवस्था प्रारम्भ कर दी गई है।

- भारत सरकार द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अनुरूप इस वित्तीय वर्ष में पर्याप्त मार्जिन मनी एवं लगभग एक सौ पचास लाभार्थियों को दो करोड़ से अधिक की मार्जिन मनी स्वीकृत/संवितरित की है।
- मेरी सरकार द्वारा दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिये लागू विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अधीन अब तक लगभग सत्रह हजार बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त हुआ है।
- ऊन योजना, वित्त पोषित ब्याज उत्पादन योजना को क्रियान्वित करने के साथ-साथ खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट भी यथावत दे रही है।

(15) मेरी सरकार ने वैजिटेबिल इनिशिएटिव योजना, नेशनल मिशन ऑन माइक्रोइरिगेशन तथा राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन की दिशा में सहायनीय कार्य किया है।

- सरकार द्वारा राज्य में औद्यानिक फसलों के विपणन एवं निर्यात हेतु एपिडा द्वारा फल एवं सब्जियों के लिये आई0क्यू0एफ0 इकाई, देहरादून तथा सेब के लिये नियन्त्रित वातावरण स्टोरेज इकाई, उत्तरकाशी में स्थापित करने हेतु स्वीकृत की जा चुकी है।
- औद्यानिक विकास के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों में किसानों, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रार्थीगण कार्यक्रम समय-समय पर आयोजित कर रही है।

- मशरूम उत्पादन, फल पौध वितरण, सब्जी, आलू, अमरुद और हल्दी बीज का वितरण कार्य तथा पौध सुरक्षा कार्य से लगभग चार हजार से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया गया है।
- उद्यान कार्ड वितरण, रोपण सामग्री का उत्पादन तथा घेरवाड़ योजना का भी संचालन किया है।
- मेरी सरकार सेब एवं आलू के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना, फसल बीमा योजना, मैचिंग ग्रांट व्यवस्था तथा मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना का क्रियान्वयन किया है।
- मेरी सरकार द्वारा सिल्क मार्क एक्सपो का आयोजन के साथ-साथ रेशम कीटाणु आपूर्ति हेतु सहायता प्रदान की है।
- चाय उत्पादन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कटिबद्ध है ताकि महिलाओं हेतु रोजगार के अवसर सृजित हो सके।

(16) मेरी सरकार नें उत्तराखण्ड राज्य सड़क सुधार कार्यक्रम, शेड्यूल कास्ट सब प्लान, ट्राइबल सब प्लान में राज्य के मार्गों का निर्माण पुनर्निर्माण तथा सुदृढीकरण का कार्य सम्पादित किया है।

(17) उत्तराखण्ड के शीर्ष पर स्थित हिमालय पर्वत माला उत्तर भारत का जल स्तम्भ है जिस पर देश की लगभग पचास करोड़ जनसंख्या की आर्थिकी एवं जीवनयापन निर्भर है। पवित्र नदियां गंगा, यमुना एवं शारदा आदि का उद्गम प्रदेश के हिमखण्डों एवं सघन वनों में स्थित है और उत्तराखण्ड देश के बड़े भू-भाग के पारिस्थितिकीय सन्तुलन को बनाये रखने में महत्वपूर्ण योगदान है जब कि इन सेवाओं को सतत् रूप से बनाये रखने के लिये यहां की जनता को आर्थिक एवं भावनात्मक बोझ वहन करना पड़ता है। इस कथन की पुष्टि भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल के 23.41 प्रतिशत वनों के सापेक्ष उत्तराखण्ड में भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष 71.05 प्रतिशत वन क्षेत्र होना है। देश ही नहीं बल्कि विश्व समुदाय

के हित में यहां के वनों एवं जैव विविधता को संरक्षित करना अत्यन्त आवश्यक है।

- वनों के रख रखाव पर भी विशेष ध्यान दिया है ताकि पर्यावरण के साथ-साथ वन्य जीव का संरक्षण भी हो सके।

(18) सरकार द्वारा पेयजल योजनाओं को कार्यान्वित किए जाने हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई है, इसके अतिरिक्त ग्रामीणों के स्वच्छ पेयजल हेतु को उपलब्ध कराने के साथ-साथ स्वच्छता योजनाओं का भी अनुपालन सुनिश्चित किया है। इस हेतु नेशनल अरबन वाटर अवार्ड के लिए भी मेरी सरकार को चुना गया है।

(19) तकनीकी शिक्षा के सुदृढीकरण हेतु समय-समय पर ठोस कदम उठाती रही है ताकि बेरोजगार युवाओं को रोजगार की प्राप्ति हो सके। इस क्रम में नवीन पॉलिटेक्निक कालेजों का गठन, महिला छात्रावासों का निर्माण तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को सम्पादित किया जा रहा है।

- देव भूमि में संस्कृत भाषा के प्रचार-प्रसार संरक्षण और संवर्धन के लिए अनेक कदम उठाये गये हैं।
- बेसिक शिक्षा के आधारभूत ढाँचे को मजबूत करने की दिशा में ठोस कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को उत्कृष्ट दिशा व उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यों का सम्पादन किया गया है।
- मेरी सरकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की पाठ्यचर्या के अनुरूप प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में द्विवर्षीय डी०एल०एड० प्रशिक्षण प्रारम्भ करेगी।
- मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत कार्यरत समस्त भोजन माताओं को रूपया 1000/- की वार्षिक प्रोत्साहन राशि अनुमन्य की गयी

है। इस मद में रुपया 659.78 लाख की धनराशि जारी कर 32989 भोजन माताओं को लाभान्वित किया गया है।

- आपदा प्रभावित क्षेत्रों के विद्यार्थियों को पठन-पाठन सामग्री की तात्कालिक व्यवस्था हेतु रुपया 500/- प्रति विद्यार्थी की दर से मुख्यमंत्री राहत सहायता दी गयी है।
- जनपद रुद्रप्रयाग एवं उत्तरकाशी के समस्त क्षतिग्रस्त विद्यालयों के पुनर्निर्माण एवं वृहद मरम्मत हेतु रोटरी उत्तराखण्ड आपदा राहत ट्रस्ट के साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया गया है। इसी प्रकार जनपद टिहरी के 08 विद्यालयों के पुनर्निर्माण हेतु सी0आई0आई0 फाउण्डेशन के साथ एम0ओ0यू0 किया गया है।

(20) श्रमिकों के कल्याण के लिए मेरी सरकार कटिबद्ध है। श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम वेतन, ग्रेच्युटी, बोनस, मातृका हित लाभ, समान कार्य के लिए समान वेतन तथा सन्निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों का पंजीकरण किए जाने हेतु ठोस कदम उठाए हैं।

- लगभग बीस हजार बेरोजगार युवाओं को रोजगार सह कौशल विकास भत्ता स्वीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त मेरी सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को रोजगार देकर लाभान्वित किया जा रहा है।
- श्रमिकों के कल्याण हेतु कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन चिकित्सालयों की स्थापना हेतु अपेक्षित भूमि भारत सरकार को अंतरित की जा चुकी है।

(21) राज्य में कानून-व्यवस्था को बनाये रखने, समसामायिक एवं संगठित अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण, पर्यावरण की सुरक्षा, नागरिकों के मानवाधिकारों के संरक्षण तथा जनता के प्रति जबाबदेही सुनिश्चित करने के लिये सरकार प्रतिबद्ध है।

- आपदाओं को दृष्टिगत रखते हुये "स्टेट डिजार्स्टर रिसपोन्स फोर्स" की 6 वाहिनियों के गठन का प्रस्ताव किया है। तत्कम में प्रथम चरण के अन्तर्गत एस.डी.आर.एफ के मुख्यालय एवं 02 वाहिनियों के गठन का शासनादेश निर्गत करते हुये गठन की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है।

इसके अतिरिक्त दैवीय आपदा से निपटने में आपदा प्रभावित जनपदों में आपदा राहत कार्यों को कुशलतापूर्वक संपादन हेतु प्रभावी पुलिस संचार व्यवस्था स्थापित कर सूचनाओं का आदान-प्रदान किया गया है, इसके अतिरिक्त सेटेलाईट फोन के माध्यम से भी संचार व्यवस्था उपलब्ध करायी है।

- अवैध खनन रोकने के लिए "अवैध खनन निरोधक सतर्कता" इकाई का गठन भी किया है।
- राज्य निर्माण आन्दोलनकारियों के त्याग एवं बलिदान के दृष्टिगत उन्हें यथोचित सम्मान एवं सुविधायें प्रदान की जा रही हैं तथा उन्हें दी जा रही पेंशन में दो हजार रुपये की वृद्धि की है।
- कारागारों में निरुद्ध बन्दियों के श्रम का सदुपयोग कर उन्हें प्रशिक्षित करने तथा उनका इनसेनटिव बढ़ाए जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

(22) सरकार के प्रयास से विभिन्न अनाज और दलहनों के उत्पादन में आशानुरूप वृद्धि की है। इसके अतिरिक्त कृषकों को उन्तशील बीज उपलब्ध कराने तथा उन्हें नवीनतम कृषि तकनीकी की जानकारी भी दी है।

- औद्यानिकी तथा वानिकी में नये पाठ्यक्रम आरम्भ किये हैं और कृषि शिक्षा के क्षेत्र में भरसार तथा पन्त नगर विश्वविद्यालय के माध्यम से अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है।
- उत्तराखण्ड विकिन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना (ग्राम्या) के सफलता पूर्ण संचालन के पश्चात् परियोजना के द्वितीय चरण पर कार्य किया जा रहा है।

(23) यात्रियों को यातायात सुविधा उपलब्ध कराए जाने के दृष्टिगत परिवहन सेवाओं को अधिक सुसज्जित किया गया है।

- पर्यटकों को आसान यात्रा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत नागरिक उड्डयन का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है।

(24) विद्युत की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए दस वृहद जल विद्युत परियोजनाओं से लगभग पाँच हजार मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया है एवं वैकल्पिक ऊर्जा पर भी विशेष ध्यान सरकार द्वारा दिया गया है।

(25) मेरी सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना के अधीन आयोग का गठन कर लिया है। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता टोल फ्री हेल्प लाईन का प्रारम्भ भी मेरी सरकार द्वारा किया है।

- जून में आई दैवीय आपदा से प्रभावित जिलों के लिए राहत शिविर के माध्यम से खाद्यान्न आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की है। इसके अतिरिक्त विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

- भारत सरकार द्वारा प्रतिपादित मानकों के अनुरूप व्यापारिक क्षेत्र में व्यापार-प्रवर्तन एवं सत्यापन की दिशा में कार्य प्रगति पर है।

(26) सरकार जनहित में किए गए कार्यों तथा आम लोगों के लिए बनाई गई योजनाओं में सहभागिता के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार कर रही है।

- सूचना प्रौद्योगिकी का जनहित में उपयोग किए जाने की दिशा में कार्य कर रही है।

(27) मेरी सरकार सहकारिता के विकास के लिए कटिबद्ध है और सहकारिता के माध्यम से लोगों के उन्नयन के लिए प्रयत्नशील है।

- गन्ने के पिराई सत्र से पूर्व गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित कर दिया गया है।

(28) मेरी सरकार जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्यूअल मिशन के अधीन पेयजल सुदृढीकरण, सड़क और चौराहों का निर्माण, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन योजना, सीवरेज योजना, शहरी परिवहन सुधान योजना, आवास निर्माण योजना आदि योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रही है।

- मेरी सरकार ने आपदा प्रभावित व्यक्तियों को प्री फैब्रिकेटेड आवास उपलब्ध कराये हैं तथा जो व्यक्ति स्वयं आवास निर्मित करना चाहते हैं उन्हें पाँच लाख की सहायता दिये जाने की व्यवस्था की है।

(29) भराड़ीसैण तथा रायपुर में विधान सभा भवन का निर्माण कराये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

(30) राज्य कर्मचारियों के हित में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसके अतिरिक्त पाँच वर्ष से अधिक अवधि के अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की व्यवस्था उपबन्धित कर दी है।

(31) सूचना के अधिकार के सम्बन्ध में प्रभावी पर्यवेक्षण/अनुश्रवण का उपबन्ध किया गया है।

(32) राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाने के उद्देश्य से विभिन्न उद्योगों हेतु आवश्यक संरचनात्मक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई है।

मैंने अपनी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों तथा प्रस्तावित कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण सदन के पटल पर रखा। मुझे आशा है कि आप सभी सदस्यगण लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करते हुए इस गरिमामयी सदन में राज्य को उन्नति के पथ पर अग्रसर करने हेतु अपने बहुमूल्य विचार एवं सुझाव देंगे तथा आपसी सहयोग और सामंजस्य से राज्य की समस्याओं का समाधान खोजने की दिशा में सफल होंगे। मैं सम्मानित सदस्यगणों का आभार व्यक्त करते हुए वित्तीय और अन्य विधायी कार्यों के सफलतापूर्वक निर्वहन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।

जय हिन्द!